हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 81 /2021 राजेश कुमार बनाम मंगतराम वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28.07.2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जिस पर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त काबिज हैं परन्तु प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही अहमदनगर महाराष्ट्र में रहते है। तथा समय समय पर अपने गांव आते जाते रहते हैं परन्तु प्रार्थीगण के पिता का सही नाम प्रहलाद सिंह हैं जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूल या सहवन से फुसा व कुशला दर्ज हो गया इसी प्रकार प्रर्थीया सं0 3 का नाम पूर्णिमा की जगह रेणु व अप्रार्थी सं0 1 का सही नाम मंगतराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मंगलराम दर्ज हो गया। इस प्रकार गलत राजस्व रिकॉर्ड को प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम सीगड़ा तहत तहसील झुन्झुनूं की सरहद में भूमि हाल खाता सं0 113 के हाल ख.नं. 212 रकबा 1.590 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम फूसा की जगह प्रहलाद सिंह तथा प्रार्थीया नं0 3 का नाम रेण कुमारी की जगह पूर्णिमा व अप्रार्थी सं0 1 का नाम मंगलराम की जगह मंगतराम दर्ज करने का कथन किया गया है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ल0 4 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब में वर्णित किया है। अप्रार्थीगण सं0 5 से 12 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 864 दिनांक 19.03.2021 को जांच रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार खाता सं0 112 प्रार्थीगण के पिता का नाम फूसा जमाबंदी सम्वत् 2020–2023 से दर्ज है। खाता सं0 112 में दर्ज रेणु कुमारी का नाम नामा0 सं. 133 दिनांक 05.11.2012 में दर्ज हुआ व खाता सं0 113 में मंगलाराम का नाम नामा0 सं0 237/2018 में दर्ज हुआ है। उक्तानुसार रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने नामों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात क्रमशः आधार कार्ड में मंगतराम दर्ज है। व पंडित नेहरू हिन्दी प्राईमरी पाठशाला अहमद नगर (महाराष्ट्र) पाठशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र पौर्णीया पिता प्रलाद दर्ज है। भारत निवदणूक आयोग ओलखपत्र में राजेश प्रल्हाद पिता दर्ज है। व भारत निवणूक आयोग ओलखपत्र में शारदा बाई प्रल्हाद सिंह दर्ज है। जो अहमदनगर (महाराष्ट्र) से जारी किये गये है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार झुन्झुनू से पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/धारा 136/2021/1088 दिनांक 21.05.2021 द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रेषित की है। हमने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण व मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण करने के कम में सर्वप्रथम मैं यह उल्लेख का देना उचित समझता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के अनेकानेक विनिर्णयों में इस आशय का सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चूका है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय केवल मात्र किसी लिपिकीय गलती अथवा अलोद या रजिस्टर में रखी ऐसी गलतियों को शुद्ध कर सकगें। जिन्हें हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करते है। अतः इस प्रकरण में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगणों के नाम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति जताई है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सीगड़ा तहत तहसील झुन्झुनूं की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता सं0 113 के हाल खसरा नम्बर 212 रकबा 1.59 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम फूसा की जगह प्रहलाद सिंह, प्रार्थीया संख्या 3 का नाम रेणु कुमारी की जगह पूर्णिमा व अप्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगलाराम की जगह मंगतराम तथा वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित हाल खाता संख्या 13 के हाल खसरा नम्बर 214 रकबा 0.650 है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.540 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कुशला पुत्र भागु की जगह प्रहलाद सिंह पुत्र भागुराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खेरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू